राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन
एवं
प्रगति विवरण
2019–2020
(माह दिसम्बर, 2019 तक)

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवम् प्रगति विवरण

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
1.0	प्रस्तावना	1
2.0	कार्यक्षेत्र	1
3.0	विभाग का संगठनात्मक ढाँचा	1
4.0	संस्थापन	2
4.1	विभाग में मदवार स्वीकृत पद	2
4.2	विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण	2
5.0	वित्तीय व्यवस्था	3
6.0	विभागीय प्रमुख कार्य	3
7.0	भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2019 तक)	4
7.1	शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार करना	4
7.1.1	मास्टर प्लान्स की प्रगति	4
7.1.2	वित्तीय वर्ष 2019–20 की प्रगति (दिसम्बर, 2019 तक)	4
7.2	नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम तैयार करने में सहयोग प्रदान करना	5
7.3	राज्य के स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना	6
7.4	भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/न्यासों) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना	6
7.5	मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना	6
7.6	विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य	7
7.7	कोटा जोनल कार्यालय के भवन का निर्माण	7
7.8	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना	7
7.8.1	भरतपुर उप क्षेत्रीय योजना–2041	7
7.8.2	मास्टर प्लान	7
7.8.3	अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट/परियोजनाएँ एवम् कार्य	8
8.0	प्रशासनिक कार्य	9
8.1	पदोन्नति	9
8.2	नियुक्तियाँ	9
	परिशिष्ट–'अ' विभाग का संगठनात्मक ठाँचा	10
	परिशिष्ट–'ब' विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवम् कार्यरत कार्मिकों का विवरण	11
	परिशिष्ट–'स' पदवार पदोन्नतियों का विवरण–2019–20	12
	परिशिष्ट–'द' सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण–2019–20	13

वित्तीय वर्ष 2019–2020 का प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण

1.0 प्रस्तावना :

नगर नियोजन विभाग का मुख्य कार्य राज्य के नगरों तथा कस्बों के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना, शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं की रचना करना तथा विभिन्न स्थानीय संस्थाओं/स्थानीय निकायों/अन्य विभागों एवं राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना बनाना तथा मोनिटरिंग का कार्य भी सम्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उक्त योजनाओं के बनाने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु अधिनियम, नियम एवं विनियम आदि तैयार किये जाते हैं।

2.0 कार्यक्षेत्र :

नगर नियोजन विभाग का मुख्यालय, जयपुर में स्थित है। विभाग का कार्य सुगमता पूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से खण्डीय तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इनमें से जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर एवं जोधपुर में वरिष्ठ नगर नियोजक एवं अलवर एवं भरतपुर में उप नगर नियोजक के कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :–

जयपुर क्षेत्र – जयपुर, दौसा, सीकर एवं झुन्झुनू जिले।

कोटा क्षेत्र – कोटा, बून्दी, झालावाड़, बारां एवं सवाईमाधोपुर जिले।

जोधपुर क्षेत्र – जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाडमेर एवं जैसलमेर जिले।

उदयपुर क्षेत्र – उदयपुर,राजसमन्द,बांसवाड़ा,डूंगरपुर,चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले।

बीकानेर क्षेत्र – बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले।

अजमेर क्षेत्र – अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा एवं नागौर जिले।

अलवर क्षेत्र – अलवर जिला।

भरतपुर क्षेत्र – भरतपुर, धौलपुर एवं करौली जिले।

उपरोक्त 8 जोनल एवं क्षेत्रीय कार्यालायों के अतिरिक्त राज्य के शेष 25 जिलों में भी नगर नियोजन इकाईयाँ स्थापित की हुई हैं।

3.0 विभाग का संगठनात्मक ढाँचा :

नगर नियोजन विभाग; अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग के अधीन कार्यरत है। इस विभाग के विभागाध्यक्ष; मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान हैं। विभाग का संगठनात्मक ढाँचा ***परिशिष्ट 'अ'*** पर संलग्न है।

4.0 संस्थापन :

4.1 विभाग में मदवार स्वीकृत पद

विभाग में स्वीकृत पदों का मदवार विवरण दिनांक 31.12.2019 की स्थिति अनुसार निम्न प्रकार हैः– –

क्र.सं.	मद	स्वीकृत पद	
		31.12.2018	31.12.2019
1.	आयोजना भिन्न	275	263
2.	टीएसपी नॉन प्लान	2	2
3.	आयोजना	44	44
4.	टीएसपी प्लान	6	6
5.	एनसीआर	21	21
कुल पद		**348**	**336**

4.2 विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण

नगर नियोजन विभाग में दिनाँक 31.12.2019 की स्थिति में कुल 336 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 150 पद भरे हुए हैं तथा शेष 186 पद रिक्त हैं। नगर नियोजन विभाग के 44 अधिकारी/कर्मचारी, विभिन्न राजकीय विभागों/स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवं कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण ***परिशिष्ट 'ब'*** पर संलग्न है।

उपरोक्त स्वीकृत 336 पदों के अलावा; अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के कुल 3 प्रतिनियुक्ति पद (राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर, नगर निगम जयपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण का एक–एक पद); उप नगर नियोजक के कुल 18 प्रतिनियुक्ति पद (जोधपुर विकास प्राधिकरण के 2 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम जयपुर, रीको जयपुर, सीएडी बीकानेर, नगरीय विकास विभाग जयपुर तथा 11 विभिन्न नगर विकास न्यासों में स्वीकृत एक–एक पद); सहायक नगर नियोजक के कुल 17 प्रतिनियुक्ति पद (जयपुर विकास प्राधिकरण के 12, अजमेर विकास प्राधिकरण के 4 तथा नगर विकास न्यास, कोटा का एक पद); नगर नियोजन सहायक का एक प्रतिनियुक्ति पद (अजमेर विकास प्राधिकरण का एक पद); वरिष्ठ प्रारूपकार के कुल 12 प्रतिनियुक्ति पद (जयपुर विकास प्राधिकरण के 9, अजमेर विकास प्राधिकरण के 2 व नगर विकास न्यास, कोटा का एक पद) एवं कनिष्ठ प्रारूपकार के कुल 06 प्रतिनियुक्ति पद (जयपुर विकास प्राधिकरण व अजमेर विकास प्राधिकरण के 03–03 पद); नगर नियोजन विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित किये गये हैं। प्रतिनियुक्ति के शेष पदों को नगर नियोजन विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित करवाये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों/राजकीय विभागों द्वारा नगर नियोजन सेवा से सम्बन्धित विभिन्न पदों पर विभाग के अधिकारियो एवं तकनीकी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन हेतु अनुरोध किया जाता रहा है, परन्तु प्रतिनियुक्ति के सभी पद नगर नियोजन विभाग की कैडर स्ट्रेन्थ में सम्मिलित न होने के कारण इन पर सीधी

भर्ती द्वारा नियुक्ति की कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में प्रतिनियुक्ति के सभी पदों पर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदस्थापन संभव नहीं हो पाता है। वर्तमान में विभाग के मात्र 44 अधिकारी एवं कर्मचारी ही इन स्थानीय निकायों/ राजकीय विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।

5.0 वित्तीय व्यवस्था :

विभाग में वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत राज्य निधि (प्रतिबद्ध) में राशि रूपये 1252.20 लाख एवं राज्य निधि मद में राशि रूपये 598.33 लाख के प्रावधान रखे गये है, जिसमें एन.सी. आर.पी.बी से पुनर्भरण योजना (एन.सी.आर) की आयोजना मद की राशि भी सम्मिलित है। दिनांक 31.12.2019 तक मदवार व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

बजट (2019–2020) **(रुपये लाखों में)**

मद	बजट प्रावधान (BE) बर्ष 2019–2020	व्यय (01.04.2019 से 31.12.2019 तक)
राज्य निधि (प्रतिबद्ध)	1252.20	869.76
राज्य निधि	598.33	287.31
योग	**1850.53**	**1157.07**

6.0 विभागीय प्रमुख कार्य :

राज्य में सतत् व समग्र नियोजित विकास की प्रक्रिया को वांछित दिशा देने हेतु वर्ष 1964 में राज्य सरकार द्वारा नगर नियोजन विभाग का गठन किया गया था। राज्य में नियोजित नगरीय विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नगर नियोजन विभाग द्वारा निम्न प्रमुख कार्य सम्पादित किये जाते हैं :–

1. राजस्थान के शहरों/कस्बों के नियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना।
2. राज्य सरकार को नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियों को बनाने एवं पुनर्विलोकन (Review) करने में सहायता प्रदान करना।
3. राज्य के स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
4. भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/ न्यासों/नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पालिकाओं) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सैक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना की नीतियों के तहत राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना बनाना व एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड व राजस्थान उप क्षेत्र के स्थानीय निकायों/न्यासों तथा अन्य विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना एवं स्थानीय निकायों/विभागों से प्रोजेक्ट तैयार करवाना।

7.0 भौतिक प्रगति (दिसम्बर 2019 तक) :

विभाग द्वारा सम्पादित प्रमुख कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

7.1 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार करना :

7.1.1 मास्टर प्लान्स प्रगति :

नगर नियोजन विभाग का प्रमुख कार्य शहरों/कस्बों के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करना है। राजस्थान में 193 नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका) कार्यरत है, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा 9 नवीन नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। उक्त 193 नगरीय निकायों में से 31 दिसम्बर, 2019 तक 184 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं, जिसमें पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचित माउण्ट आबू ईको सेन्सेटिव जोन हेतु तैयार जोनल मास्टर प्लान एवं जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के 03 म्यूनिसिपल टाउन्स यथा जयपुर, चौमू एवं बगरू सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के मास्टर प्लान का कार्य सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा ही सम्पादित किया जा रहा है।

7.1.2 वित्तीय वर्ष 2019–2020 की प्रगति (दिसम्बर, 2019 तक) :

I. राज्य के 8 शहर जिनके मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष समाप्त हो गया था में से 2 कस्बों यथा हिण्डौन एवं माण्डलगढ़ के द्वितीय मास्टर प्लान तैयार कर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। जबकि 2 शहरों यथा हनुमानगढ़ व सवाई माधोपुर के नये मास्टर प्लान तैयार करने हेतु प्रारूप मास्टर प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5(1) के तहत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किये जा चुके है, तथा प्राप्त आपत्ति/सुझाव के विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है। गंगापुर सिटी, डूंगरपुर, सुजानगढ़ एवं सरदार शहर के वर्तमान मास्टर प्लानों का क्षितिज वर्ष जून, 2020 तक बढाया जा चुका है।

II. श्रीगंगानगर का द्वितीय मास्टर प्लान तैयार करने फलस्वरूप प्रारूप मास्टर प्लान राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5(1) के तहत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दिनांक 11.12.2019 को प्रकाशित किया जा चुका है।

III. 5 शहरों/कस्बों यथा पाली, सुजानगढ़, गंगापुरसिटी, डूँगरपुर एवं सरदारशहर के द्वितीय मास्टर प्लान बनाने का कार्य प्रगति पर है।

IV. राज्य सरकार द्वारा 9 नगर पालिकाओ यथा डेगाना (नागौर), ईटावा (कोटा), महुआ, रूपवास, किशनगढ़बास, नसीराबाद, परतापुर–गढ़ी, खाटूश्यामजी एवं थानागाजी का गठन किया गया है। किशनगढ़बास का प्रारूप मास्टर प्लान राजस्थान सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित कर प्राप्त आपत्ति/सुझावों के विश्लेषण उपरान्त मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते हुए राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है। डेगाना, ईटावा एवं महुआ के नवीन मास्टर प्लान बनाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत नगरीय क्षेत्र की अधिसूचनाएँ जारी की जा चुकी हैं, जिनके मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है। इनके अतिरिक्त शेष 5 कस्बों के नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

7.2 नगरीय विकास से सम्बन्धित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम तैयार करने में सहयोग प्रदान करना :

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–2020 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान नगरीय विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित नीतियाँ, अधिनियम, नियम, विनियम आदि तैयार करने में आवश्यकतानुरूप राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। राज्य सरकार के स्तर से निम्नलिखित विनियम, आदेश, दिशा–निर्देश आदि जारी किये गये :–

1. शहरों/कस्बों में बहुमंजिलें इमारतों के लिए जोन निर्धारण करने हेतु दिशा–निर्देश।
2. शहरों/कस्बों में विद्यमान रूफटोप रेस्टोरेंट्स के लिए अनापत्ति प्राप्त करने हेतु विनियम।
3. पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के भू–खण्डों पर निर्मित भवन के विस्तार के प्रकरणों में एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम संख्या 5.4(4) के प्रावधान में इसमें संशोधन के प्रस्ताव।
4. एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम संख्या 8.11.6 में ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहित करने हेतु संशोधन का प्रस्ताव।
5. Online Builiding Plan Approval System के तहत Fast Track Approval का प्रावधान करने बाबत्।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा निम्न प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किये गये :–

1. मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान में दर्शित व्यवसायिक/मिश्रित भू–उपयोग की भू–पट्टी की चौडाई के निर्धारण के संबंध में प्रावधान।
2. नगरीय निकाय द्वारा निलामी से विक्रय किये गये भू–खण्डों में अर्फोडेबल हाअसिंग पॉलिसि–2009 के तहत नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 24.05.2013 के अनुरूप नीलामी के भू–खण्डों में EWS/LIG का प्रावधान

अनिवार्य नहीं होने से संबंधित प्रावधानों के बारे में वर्तमान में लागू मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत भी निर्देश जारी करने के संबंध में।

3. जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हेतु नगर सुधार अधिनियम–1959 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 में संशोधन बाबत्।
4. टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत समर्पित कारवाई जाने वाली 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की भूमि मूल प्रोजेक्ट स्थल के स्थान पर समीपवर्ती मास्टर प्लान/जोनल प्लान में निर्धारित सुविधा क्षेत्र में समर्पित करवाये जाने के संबंध में प्रस्ताव।

7.3 राज्य के स्थानीय निकायों/न्यासों/प्राधिकरणों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना :

नगर नियोजन सम्बन्धित कार्यों के सुव्यवस्थित निष्पादन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों, नगर विकास न्यासों, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, रीको, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड आदि को आवासीय, व्यावसायिक व अन्य उपयोगों के लिए स्कीम/प्रोजेक्ट तैयार करने एवं नगर नियोजन से संबंधित अन्य प्रकरणों यथा ले–आउट प्लान अनुमोदन, भवन मानचित्र अनुमोदन, भूमि रूपान्तरण के प्रकरणों, आदि में विभाग से चाहे अनुसार समय–समय पर तकनीकी राय/मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

7.4 भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी राय प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति (प्राधिकरण/न्यासों/स्थानीय निकायों) की बैठक हेतु प्रकरणों का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करना :

राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों, नगर विकास न्यासों व स्थानीय निकायों के भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तकनीकी परीक्षण कर सक्षम समिति को तकनीकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों, स्थानीय निकायों के राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के क्षेत्राधिकार के प्रकरणों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप परीक्षण कर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

7.5 मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार कराने में स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना :

जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2019 को विस्तृत गाईड लाईन्स जारी की जा चुकी है। विभाग द्वारा मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत जोनल/सेक्टर प्लान तैयार कराने में नगर विकास न्यासों /स्थानीय निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

7.6 विभाग के कम्प्यूटरीकरण का कार्य :

विभाग के जयपुर स्थित मुख्यालय एवं जोनल तथा क्षेत्रीय कार्यालय के कम्पयूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कम्प्यूटर हार्डवेयर के वार्षिक रख–रखाव (AMC) के पेटे एवं प्रिन्टर कॉट्रेज, स्टेशनरी आदि का भुगतान किया गया है।

7.7 कोटा जोनल कार्यालय के भवन का निर्माण :

राज्य सरकार से प्रदत्त सक्षम स्वीकृति उपरान्त कोटा जोनल कार्यालय (कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा) के भवन का निर्माण नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा किया जा रहा है।

वर्तमान में भूतल के रूफ लेवल एवं मुख्य बाउण्डरी वॉल का निर्माण किया जा चुका है, तथा प्रथम तल का आरसीसी कार्य व भूतल एवं प्रथम तल के प्लास्टर का कार्य किया जा रहा है।

8.0 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर) राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना :

8.1 भरतपुर उप क्षेत्रीय योजना :

भरतपुर उप क्षेत्रीय योजना–2021 का प्रारूप दिनांक 13.09.2019 को आयोजित एनसीआरपीबी, नई दिल्ली कि बोर्ड मीटिंग में अनुमोदित कर दिया गया है। प्रारूप उप क्षेत्रीय योजना–2021 को दिनांक 30.09.2019 को प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित CE&RC की बैठक में रखा जाकर जिला कलक्टर, भरतपुर की अध्यक्षता में भरतपुर जिले के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं विभिन्न स्टेकहोल्डर्स/संस्थाओं के साथ दिनांक 16.12.2019 को बैठक आयोजित की जा चुकी है। बैठक में प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करते हुए जिला भरतपुर की प्रारूप उप क्षेत्रीय योजना–2021 को अन्तिम रूप दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।

8.2 मास्टर प्लान :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला अलवर मे नई टाउनशिप तिजारा एवं संस्थागत उप नगर किशनगढ़बास के मास्टर प्लान प्रारूपों हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के अन्तर्गत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाकर उक्त मास्टर प्लान प्रारूपों पर प्राप्त आपत्ति/सुझावो का विश्लेषण कर आपत्ति/सुझाव रिपोर्ट एवं तदानुसार संशोधित मास्टर प्लान अनुमोदन हेतु क्रमशः दिनांक 01.01.2016 व 25.01.2016 को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

नई टाउनशिप तिजारा एवं संस्थागत उप नगर किशनगढबास मास्टर प्लान अधिसूचित किये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है।

8.3 अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट/परियोजनाऐं एवं कार्य :

अ) राजस्थान उप क्षेत्र मे एनसीआर बोर्ड से प्रोजेक्ट्स की स्वीकृति –

राजस्थान उपक्षेत्र (अलवर एवं भरतपुर जिले) एवं काउन्टर मेग्नेट (जयपुर एवं कोटा शहर) क्षेत्रों के विकास हेतु एनसीआरपीबी, नई दिल्ली द्वारा सॉफ्ट लोन प्रदान किये जाते हैं, जिसके लिए विभाग में गठित एनसीआर प्रकोष्ठ द्वारा सम्बन्धित विभागों/स्थानीय निकायों के स्तर पर तैयार किये गये प्रोजेक्ट्स एनसीआरपीबी, नई दिल्ली को परीक्षणोपरान्त वित्तीय सहायता (ऋण) प्राप्त करने हेतु प्रेषित किये जाते हैं। उक्त प्रोजेक्ट्स की मोनीटरिंग भी एनसीआर प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है। एनसीआरपीबी, नई दिल्ली का गठन होने के उपरान्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान सब रीजन हेतु अब तक 84 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है जिसकी अनुमानित लागत 5270 करोड है तथा अब तक 3240 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता (ऋण) स्वीकृत किया गया है। जिसमें मुख्यतः पेयजल, विद्युतीकरण, सड़क निर्माण तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाऐं शामिल है।

(ii) अब तक कुल 84 परियोजनाओं में से 30 परियोजनाऐं पूर्ण हो चुकी है।

(iii) वर्तमान में चल रही 54 परियोजनाओं में 07 जलदाय विभाग की जल आपूर्ति उन्नयन परियोजना (अलवर, भिवाड़ी, बहरोड, राजगढ, तिजारा, खैरथल व किशनगढ़बास) सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलवर की 38 सडकों का सुदृढ़ीकरण परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण की द्रव्यवती नदी कायाकल्प परियोजना, स्मार्ट सोल्यूसन, वाईफाई एवं पुलियाओं का निर्माण परियोजना तथा 07 अन्य परियोजनाऐं जिनमें ऐलिवेटेड रोड एवं ROB, RUB के निर्माण की परियोजनाऐं सम्मिलित है।

ब) एनसीआर के रिवाईज्ड रीजनल प्लान एवं राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना के प्रारूप के नीतियों एवं प्रावधानो की मॉनिटरिंग –

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार किये गये रिवाईज्ड रीजनल प्लान एवं राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना के प्रारूप के नीतियों एवं प्रावधानो की मॉनिटरिंग एवं इसके सम्बन्ध में विभिन्न विभागों से सम्पर्क एवं समन्वय का कार्य भी एनसीआर प्रकोष्ठ द्वारा किया गया।

9.0 प्रशासनिक कार्य :

9.1 पदोन्नतियाँ :

विभाग में सभी संवर्गो के वर्ष 2019–2020 तक के उपलब्ध रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित की जाकर 49 कार्मिकों को नियमित पदोन्नतियाँ दी जा चुकी है, जिनका विवरण ***परिशिष्ट–'स'*** पर संलग्न है।

9.2 नियुक्तियाँ :

विभाग में सहायक नगर नियोजक के 10 पदों पर तथा नगर नियोजन सहायक के 03 पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पादित की जा रही है। दोनों संवर्गों पर सीधी भर्ती हेतु संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा साक्षात्कार आयोजित किया जाना शेष है।

शीघ्रलिपिक के 05 रिक्त पदों तथा कनिष्ठ सहायक के 10 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग को भिजवाए हुए हैं।

विभाग में रिक्त 29 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्यय./2014 दिनांक 01.04.15 के प्रावधानान्तर्गत वित्त विभाग की सहमति उपरान्त 07 रिक्त पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा 22 रिक्त पदों हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को वर्ष 2018 में प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे, जिनका विवरण ***परिशिष्ट–'द'*** पर उपलब्ध है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अधीनस्थ संवर्ग के पदों की नियुक्ति में साक्षात्कार का प्रावधान समाप्त करने के लिए निर्देशित किये जाने के क्रम में विभाग द्वारा सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को भिजवाये गये हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं।

———————————

—————

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

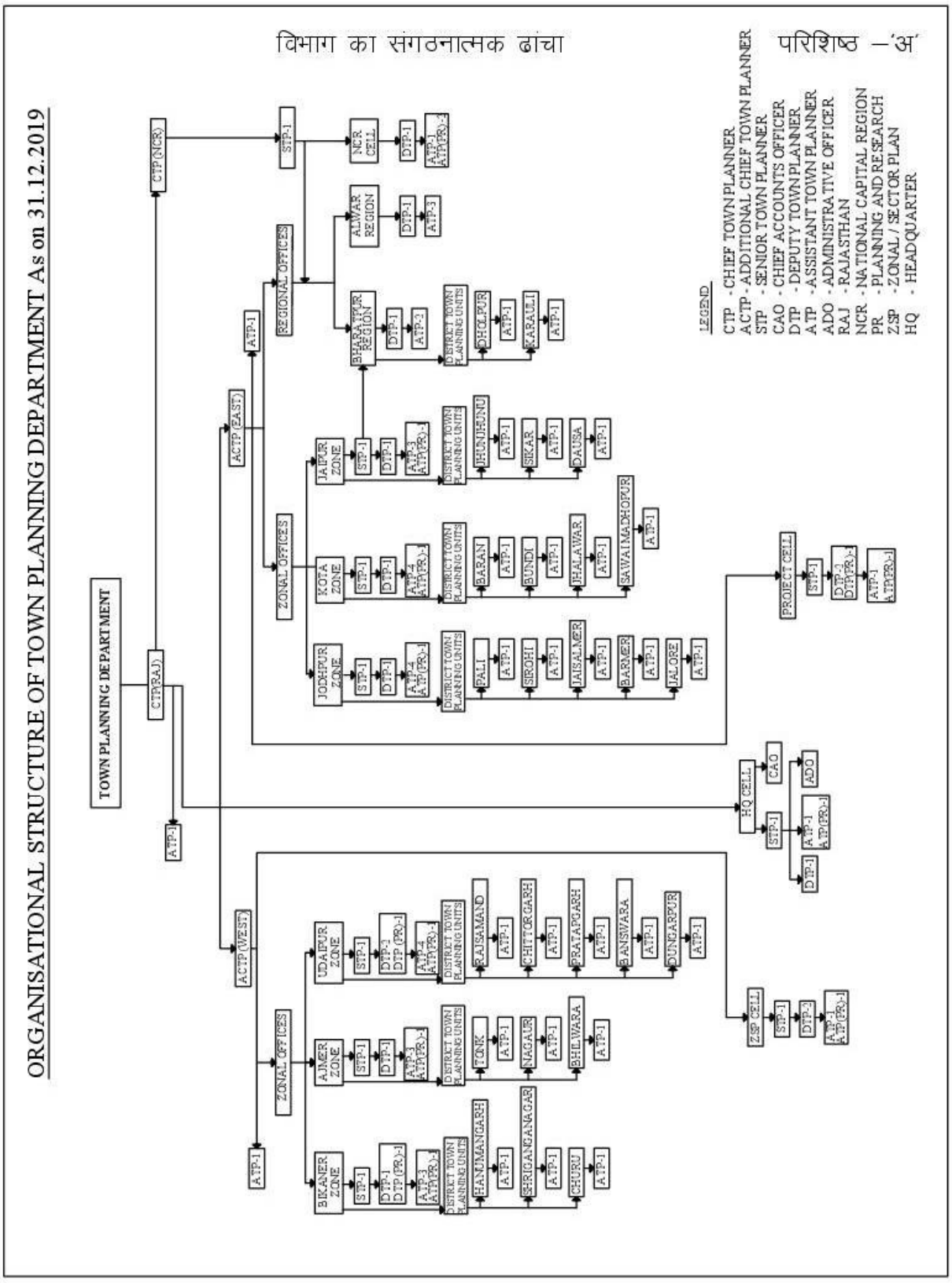

परिशिष्ट–'ब'

विभाग में स्वीकृत पद, रिक्त पद एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण
(दिनाँक 31.12.2019 की स्थिति में)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद	अन्य विभागों/ स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
	(अ) राजपत्रित अधिकारी संवर्ग				
1.	मुख्य नगर नियोजक	2	2	0	0
2.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	2	2	0	1
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक	10	8	2	6
4.	उप नगर नियोजक	15	9	6	18
5.	उप नगर नियोजक(पीआर)	3	2	1	1
6.	सहायक नगर नियोजक	58	14	44	6
7.	सहायक नगर नियोजक(पीआर)	10	3	7	0
8.	सहायक अभियन्ता	15	8	7	1
9.	मुख्य लेखाधिकारी	1	0	1	0
10.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	1	1	0	0
	निलम्बन : उप नगर नियोजक		1	–1	0
	निलम्बन : सहायक नगर नियोजक		1	–1	0
	कुल	**117**	**51**	**66**	**33**
	(ब) अराजपत्रित संवर्ग				
11.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0
12.	अनुसंधान सहायक	8	1	7	0
13.	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	8	2	6	0
14.	अन्वेषक ग्रेड–द्वितीय	10	1	9	0
15.	कनिष्ठ अभियन्ता	3	0	3	0
16.	नगर नियोजन सहायक	6	4	2	0
17.	वरिष्ठ प्रारूपकार	25	18	7	10
18.	कनिष्ठ प्रारूपकार	25	0	25	0
19.	फैरोप्रिन्टर	1	1	0	0
20.	फैरोमेन	2	2	0	0
21.	सर्वे सहायक	1	0	1	0
22.	वाहन चालक	2	2	0	0
23.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	2	2	0	0
24.	कनिष्ठ लेखाकार	10	9	1	0
25.	अतिरिक्त निजी सचिव	8	7	1	0
26.	निजी सहायक	6	1	5	0
27.	शीघ्रलिपिक	5	0	5	0
28.	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	0
29.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	3	2	1	0
30.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9	7	2	0
31.	वरिष्ठ सहायक	18	10	8	0
32.	कनिष्ठ सहायक	27	14	13	0
33.	जमादार	6	2	4	0
34.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	32	13	19	1
	कुल	**219**	**99**	**120**	**11**
	कुल (अ+ब)	**336**	**150**	**186**	**44**

पदवार पदोन्नतियों का विवरण 2019–2020

.

क्र. सं.	पदनाम	नियमित पदोन्नति	कुल पदोन्नति	विशेष विवरण
(I) राजपत्रित संवर्ग –				
1.	मुख्य नगर नियोजक	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
2.	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक	1	1	–
3.	वरिष्ठ नगर नियोजक	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
4.	उप नगर नियोजक	31	31	–
5.	उप नगर नियोजक(पीआर)	3	3	–
6.	सहायक नगर नियोजक	1	1	–
7.	सहायक नगर नियोजक (पीआर)	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
8.	सहायक अभियन्ता	2	2	–
योग		**38**	**38**	
(II) अधीनस्थ संवर्ग				
1.	अनुसंधान सहायक	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
2.	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
3.	नगर नियोजन सहायक	3	3	–
4.	वरिष्ठ प्रारूपकार	0	0	विभाग में कोई कनिष्ठ प्रारूपकार कार्यरत नहीं है।
5.	कनिष्ठ प्रारूपकार	0	0	विभाग में कोई अनुरेखक कार्यरत नहीं है।
6.	फैरोप्रिन्टर	0	0	एक्स कैडर पद होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी।
योग		**3**	**3**	
(III) मन्त्रालयिक संवर्ग				
1.	अतिरिक्त निजी सचिव	2	2	–
2.	निजी सहायक	0	0	विभाग में कोई शीघ्रलिपिक कार्यरत नहीं है।
3.	प्रशासनिक अधिकारी	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
4.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
5.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	2	2	–
6.	वरिष्ठ सहायक	2	2	–
7.	कनिष्ठ सहायक	0	0	नियमों में अपेक्षित अनुभव प्राप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं है।
योग		**6**	**6**	
(IV) चतुर्थ श्रेणी संवर्ग				
1.	जमादार	2	2	–
योग		**2**	**2**	
कुल योग (I+ II+III+IV)		**49**	**49**	

परिशिष्ट–'द'

सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण 2019–2020
(जिनके लिये नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है)

क्र.सं.	पदनाम	पे लेवल	रिक्त पद	भर्ती का माध्यम
1.	सहायक नगर नियोजक(पीआर)	एल–14	01	राजस्थान लोक सेवा आयोग
2.	अनुसंधान सहायक	एल–12	06	राजस्थान लोक सेवा आयोग
3.	अन्वेषक ग्रेड–प्रथम	एल–10	04	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
4.	अन्वेषक ग्रेड–द्वितीय	एल–08	10	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
5.	वरिष्ठ प्रारूपकार	एल–10	02	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
6.	कनिष्ठ प्रारूपकार	एल–08	06	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड
कुल योग			**29**	